

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

करण संख्या : 06 / 2016

किसाकन्धा बाई पुत्री माधो पत्नि केदारलाल जाति मीना निवासी श्यामपुरा हाल निवासी महुआ तहसील मांगरोल जिला बारां

♠ बनाम ♠

1. कर्मचन्द पुत्र
2. छोटूलाल पुत्र
3. रामकुमार पुत्र
4. प्रेमबाई पुत्री
5. मूर्ति बाई पुत्री
6. सरपंच ग्राम पंचायत हिंगोनिया पंचायत समिति अंता तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

.....प्रार्थीया / अपीलान्त

अपील इन्तकाल नं० 274 दिनांक 05.07.2010 ग्राम श्यामपुरा ग्राम पंचायत हिंगोनिया पं० सं० अन्ता

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएस)

वकील वादी : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांक: 19.10.2016

निर्णय दिनांक : 15.06.2018

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 9 खसरा नं० 255/533 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 256 रकबा 0.18 है०, खसरा नं० 257 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 260 रकबा 0.71 है०, खसरा नं० 263 रकबा 4.00 है० कुल किता 5 रकबा 5.80 है० व खाता संख्या 78 खसरा नं० 84 रकबा 6.05 है०, खसरा नं० 105 रकबा 0.09 है०, खसरा नं० 114 रकबा 1.55 है०, खसरा नं० 119 रकबा 1.70 है०, खसरा नं० 130 रकबा 1.31 है०, खसरा नं० 132 रकबा 0.78 है०, खसरा नं० 133 रकबा 0.29 है०, खसरा नं० 138 रकबा 0.29 है०, खसरा नं० 142 रकबा 0.81 है०, खसरा नं० 315 रकबा 2.77 है०, खसरा नं० 332 रकबा 2.82 है०, खसरा नं० 347 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 356 रकबा 2.14 है०, खसरा नं० 358 रकबा 1.54 है०, खसरा नं० 371 रकबा 0.65 है०, खसरा नं० 420 रकबा 1.09 है० कुल किता 16 रकबा 24.55 है० वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थीया के मृतक पिता माधोलाल पुत्र सूरजमल जाति मीना निवासी श्यामपुरा के निजी खाते व शामलाती खाते में दर्ज थी जिनकी मृत्यु होने के बाद उपरोक्त वर्णित आराजियात में विरासत का नामांतरण नं० 274 दिनांक 05.07.2010 को अप्रार्थी क्रम 6 द्वारा तस्दीक किया गया जो त्रुटि पूर्ण है क्योंकि प्रार्थीया के पिता के वारिसान में सुमित्राबाई नाम का कोई सदस्य नहीं है और प्रार्थीया के नाम के स्थान पर सुमित्राबाई दर्ज करते हुए उक्त नामान्तरण नं० 274 तस्दीक किया है जो त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारीज किये जोन योग्य है। प्रार्थीया के मृतक पिता माधोलाल के 3 पुत्र व 3 पुत्रीया है जिनमें प्रार्थीया व अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 है तथा सुमित्रा बाई नाम की कोई पुत्री नहीं है। अतः

कि दिनांक 05.07.2010 को ग्राम पंचायत हिंगोनिया द्वारा तस्दीक किया गया 05.07.2010 को
पंचायत हिंगोनिया द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तरण संख्या 274 ग्राम श्यामपुरा खारीज फरमाया

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल से जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/2018/केम्प हिंगोनिया दिनांक 15.06.2018 में अंकन किया कि ग्राम पंचायत हिंगोनिया के द्वारा दिये गये वारिसान प्रमाण पत्र में भी माधोलाल (मृतक) की पुत्री किसकिन्धा का सही नाम किसकिन्धा बाई बताया है संलग्न रिपोर्ट एवं दस्तावेज यथा भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि के आधार पर प्रार्थीया का नाम सुमित्रा बाई के स्थान पर किसकिन्धा बाई ही है। अतः सुमित्रा बाई के स्थान पर सही नाम किसकिन्धा बाई दर्ज करने वास्ते जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर पेश है।

वाद पत्र की पुष्टि पटवारी हल्का एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) द्वारा की गई है इस प्रकार वाद पत्र संलग्न दस्तावेजात रिपोर्ट पटवारी, अनुशंषा लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल जो प्रतिवादी है यह भली प्रकार सिद्ध है कि वाद पत्र के अनुसार वादनी का सही नाम किसकिन्धा पुत्री माधोलाल होना चाहिए।

अतः खाता संख्या 9 खसरा नं० 255/533 रकबा 0.16 है०, खसरा नं० 256 रकबा 0.18 है०, खसरा नं० 257 रकबा 0.75 है०, खसरा नं० 260 रकबा 0.71 है०, खसरा नं० 263 रकबा 4.00 है० कुल कित्ता 5 रकबा 5.80 है० व खाता संख्या 78 खसरा नं० 84 रकबा 6.05 है०, खसरा नं० 105 रकबा 0.09 है०, खसरा नं० 114 रकबा 1.55 है०, खसरा नं० 119 रकबा 1.70 है०, खसरा नं० 130 रकबा 1.31 है०, खसरा नं० 132 रकबा 0.78 है०, खसरा नं० 133 रकबा 0.29 है०, खसरा नं० 138 रकबा 0.29 है०, खसरा नं० 142 रकबा 0.81 है०, खसरा नं० 315 रकबा 2.77 है०, खसरा नं० 332 रकबा 2.82 है०, खसरा नं० 347 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 356 रकबा 2.14 है०, खसरा नं० 358 रकबा 1.54 है०, खसरा नं० 371 रकबा 0.65 है०, खसरा नं० 420 रकबा 1.09 है० कुल कित्ता 16 रकबा 24.55 है० वाके ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां में वादनी का नाम सुमित्रा बाई हजफ कर किसकिन्धा पुत्री माधोलाल इन्द्राज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल तदनुसार पालना करें।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय 3 मजमेंआम में सुनाया गया।

Handwritten notes in a box, likely a signature or official stamp, containing illegible text.